भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4001
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एफपीयू की स्थापना के लिए अनुदान

4001. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कितने प्रकार के अनुदान उपलब्ध हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्वयं सहायता समूहों/एनजीओ के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (एफपीयू) की स्थापना के लिए कोई अनुदान प्रदान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो स्व-सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान प्राप्त करने संबंधी अनिवार्य पात्रता/मानदंड क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमजीकेवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) / कार्यान्वयन एजेंसियां / संगठन जैसे सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / संयुक्त उपक्रम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) / निजी क्षेत्र की कंपनियां / साझेदारी फर्म / स्वामित्व वाली फर्म / व्यक्ति आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का चयन संबंधित योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पूर्वनिर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट (www.mofpi.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12. 2024 को उत्तर हेतु "एफपीयू की स्थापना के लिए अनुदान" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के भाग (क़) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी तथा स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 15 करोड़ होगी और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता।

6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी गठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

<u>पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारम्भिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****